

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 2310 / 2014

संस्थापन दिनांक 29.12.2014

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला
भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—रामशंकर राठौर पुत्र पोपसिंह राठौर उम्र 38 वर्ष
निवासी गदाईपुरा यादव धर्मकांटा के पास मुरैना रोड
थाना मल्लपुरा ग्वालियर जिला ग्वालियर

— अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 304ए भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 26.07.14 को 21:00 बजे ग्वालियर भिण्ड रोड नेशनल हाईवे क्रमांक 92 ग्राम सर्वा कॉलोनी के सामने थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड पर बस क्रमांक एम0पी0-07-एफ-1882 को उतावलेपन व उपेक्षा से चलाकर जाकिर हुसैन उर्फ जग्गा में टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26.07.14 को करीबन 09:00 बजे फरियादी मेंहदी हसन अ0सा01 व उसका छोटा भाई जाकिर हुसैन उर्फ जग्गा बाराहेड पेंडा से सर्वा कॉलोनी में अपने रिश्तेदार पान खां के घर पैदल आ रहे थे जैसे ही वह सर्वा कॉलोनी से थोड़ा पहले टावर के सामने आये उसी समय भिण्ड तरफ से बस क्रमांक एम0पी0-07-एफ-1882 का ड्राइवर बस को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ लाया और उसके छोटे भाई जाकिर हुसैन उर्फ जग्गा को सामने से टक्कर मार दी। बस की टक्कर लगने से उसका भाई जाकिर

हुसैन रोड पर गिर पड़ा तब उसने व रोड पर आ रहे जीतू जाटव अ0सा02 व भानु परिहार अ0सा03 ने जाकिर को उठाया। टक्कर लगने से जाकिर हुसैन के दोनों पैर, सिर तथा शरीर में जगह-जगह चोटें आई थी जिससे जाकिर हुसैन की मौके पर ही मौत हो गयी थी। तत्पश्चात फरियादी मेंहदी हसन अ0सा01 ने थाना गोहद चौराहा में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कराई जिस पर से थाना गोहद चौराहा में अप0क0 192/14 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न है कि क्या आरोपी ने दिनांक 26.07.14 को 21:00 बजे ग्वालियर भिण्ड रोड नेशनल हाईवे क्रमांक 92 ग्राम सर्वा कॉलोनी के सामने थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड पर बस क्रमांक एम0पी0-07-एफ-1882 को उतावलेपन व उपेक्षा से चलाकर जाकिर हुसैन उर्फ जग्गा में टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. फरियादी मेंहदी हसन अ0सा01 ने कथन किया है कि दो वर्ष पूर्व रात्रि 9 बजे उसका भाई जाकिर हुसैन उसके साथ बाराहेड पेंडा से ग्राम सर्वा अपने रिश्तेदार पान खां के यहां पैदल जा रहा था तब सर्वा कॉलोनी के थोड़ा पहले भिण्ड की तरफ से एक बस ने जाकिर को टक्कर मार दी जिससे वह रोड पर गिर गया जाकिर के दोनों पैर व शरीर में चोटें आई तथा उसकी मृत्यु हो गयी। उसने घटना की रिपोर्ट प्र0पी-1 थाना गोहद चौराहे में लिखाई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी-2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा अकाल मृत्यु की सूचना प्र0पी-3 दी थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मृत्यु जांच में उपस्थित होने का आवेदन प्र0पी-4, नक्शा पंचायतनामा शव प्र0पी-5 व शव प्राप्ति रशीद प्र0पी-6 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 26.07.14 को रात्रि 9 बजे बस क्रमांक एम0पी0-07-एफ-1882 के चालक ने गाड़ी को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसके भाई को टक्कर मार दी थी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दफ्तर प्र0पी-7 व रिपोर्ट प्र0पी-1 में भी दिए जाने से इंकार किया है। इस साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि साक्ष्य के दौरान उपस्थित आरोपी रामशंकर ही घटना के समय बस को चला रहा था।
6. जीतू अ0सा02 ने कथन किया है कि दो-ढाई वर्ष पूर्व रात्रि 9 बजे वह और भानु अ0सा03 बालाजी बस से ग्वालियर जा रहे थे तब सर्वा के पास टावर के सामने एक एक्सीडेंट हो गया था। जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी जिसे वह और भानु उठाकर थाना गोहद ले गये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को

पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि बस क्रमांक एम0पी0-07-एफ-1882 से वह ग्वालियर जा रहे थे। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उक्त बस को चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाकर जाकिर में टक्कर मार दी थी जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-8 में भी दिए जाने से इंकार किया है।

7. भानु अ0सा03 ने कथन किया है कि वह आरोपी रामशंकर को नहीं जानता है और उसे घटना की जानकारी नहीं है उसके समक्ष कोई दुर्घटना नहीं हुई। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 27.07.14 को वह बालाजी बस में बैठकर ग्वालियर जा रहा था तब सर्वा कॉलोनी के सामने आरोपी रामशंकर ने बस क्रमांक एम0पी0-07-एफ-1882 को तेजी व लापरवाही से चलाकर जाकिर हुसैन में टक्कर मारी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-8 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
8. प्रकरण में फरियादी मेंहदी अ0सा01 और साक्षी जीतू अ0सा02, भानु अ0सा03 भी प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में अभियोजन द्वारा उल्लिखित किए गए हैं और तीनों ही प्रत्यक्ष साक्षीगण ने आरोपी द्वारा ही बस क्रमांक एम0पी0-07-एफ-1882 को उपेक्षापूर्वक परिचालित कर जाकिर हुसैन को टक्कर मारे जाने के तथ्य से स्पष्ट इंकार किया है। मेंहदी अ0सा01 मृतक का भाई भी है और फरियादी भी है अतः महत्वपूर्ण साक्षी भी है। अभियोजन का मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य पर निर्भर है और परीक्षित कराये गये प्रत्यक्ष साक्षी ने ही आरोपी के कृत्य का कथन नहीं किया है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य में दुर्घटना बस क्रमांक एम0पी0-07-एफ-1882 से कारित किए जाने से भी इंकार किया गया है। अतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से अभियोजन अपना मामला सिद्ध करने में असफल रहता है।
9. अतः यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 26.07.14 को 21:00 बजे ग्वालियर भिण्ड रोड नेशनल हाईवे क्रमांक 92 ग्राम सर्वा कॉलोनी के सामने थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड पर बस क्रमांक एम0पी0-07-एफ-1882 को उतावलेपन व उपेक्षा से चलाकर जाकिर हुसैन उर्फ जग्गा में टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।
10. परिणामतः आरोपी को धारा 304ए भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
11. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
12. प्रकरण में जप्त वाहन बस क्रमांक एम0पी0-07-एफ-1882 आवेदक महेन्द्र गुप्ता की सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा पील अवधि पश्चात उन्मोचित किया जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0